



भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक १९ भार्च, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के झूठे प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई।

उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 2294/1986 (महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्ड और अन्य) में प्रतिवादी संख्या 1 ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर वर्ष 1985-86 के लिए ऐसे डिग्री पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में प्रवेश लिया था। उच्चतम न्यायालय ने उसे अनुसूचित जनजाति का तो नहीं माना परन्तु उसके प्रवेश को रद्द अथवा डिग्री को प्रभावित भी नहीं किया। माननीय न्यायालय ने पाया कि उस समय प्रवेश के बाद 15 वर्ष ब्यतीत हो चुके थे और उसका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका था। इतने लंबे समय के बाद उसके प्रवेश को रद्द करने से किसी को कोई लाभ नहीं होता। उसके खिलाफ की गई कार्रवाई से समाज को एक ऐसे डॉक्टर की सेवा से बचाया रहना पड़ता जिस पर जनता का पैसा खर्च किया जा चुका था। न्यायालय ने उस मामले में यह भी निर्णय दिया कि ऐसे प्रवेश और नियुक्तियों के मामले जो अंतिम रूप ले चुके थे, न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे।

2. उपर्युक्त फैसले के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों पर की गई ऐसी नियुक्तियाँ जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर हासिल की गई हैं और जो अंतिम रूप ले चुकी हैं अथवा जो लम्बे समय से जारी हैं, को समाप्त किया जा सकता है अथवा नहीं।

3. इस मामले में विधि कार्य विभाग से परामर्श किया गया और पाया गया कि मिलिन्ड और उसी प्रकार के कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कुछ उम्मीदवारों के प्रवेश और नियुक्ति को उन मामलों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए रद्द नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने केवल उन्हीं उम्मीदवारों को विशेष राहत दी जो उन मामलों में पार्टी थे। शीर्ष न्यायालय के विशेष आदेश द्वारा रक्षित मामलों के अलावा सभी मामलों में इस विभाग के दिनांक 19.05.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/7/91-स्था(क) में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की अपेक्षित है। उक्त कार्यालय ज्ञापन का प्रावधान नीचे दिया गया है :-